

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि छठ पूजा वर्ष २०१८ के अवसर पर नगर निगम, मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी गंगा घाटों की साफ सफाई एवं छठ-व्रतियों के लिये गंगा घाटों पर कच्ची घाटों का निर्माण किया जाना है। निम्नांकित आवश्यक शर्तों के साथ निविदा मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

**कार्य संबंधी विवरणी निम्न प्रकार है:-**


1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : नगर आयुक्त, नगर निगम मुंगेर।
2. निविदा जमा करने की तिथि/समय/दिनांक : २७.१०.२०१८ को ११:०० बजे पूर्वाह्न से २:०० बजे अपराह्न तक ( जनकार्य विभाग में ) नगर निगम, मुंगेर में।
3. निविदा खोलने की तिथि/समय/स्थान : दिनांक- २७.१०.२०१८ को ०३:०० बजे अपराह्न से नगर निगम सभा भवन में।
4. मद : १४वीं वित्त/नागरिक सुविधा मद से।
5. कार्य की विवरणी : नगर निगम मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी गंगा-घाटों की साफ-सफाई एवं छठ-व्रतियों के लिए सभी गंगा घाटों पर कच्ची घाटों का निर्माण इत्यादि कार्य।


**आवश्यक शर्तें:-**

1. वैसे निबंधित एन०जी०ओ० आवेदन देने के लिए योग्य होंगे जो पूर्व से कभी काली सूची में दर्ज नहीं है। इसके लिए उन्हें शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को विगत तीन साल का अद्यतन आयकर रिटर्न/एन०जी०ओ० प्रमाण-पत्र/पैन कार्ड/लेबर लाइसेंस/ई०पी०एफ० निबंधन प्रमाण-पत्र/जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित एन०जी०ओ० छठ पूजा २०१८ के अवसर पर दिनांक-०१.११.२०१८ से दिनांक-१३.११.२०१८ तक नगर निगम मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी गंगा घाटों की साफ सफाई एवं छठ व्रतियों के लिए सभी गंगा घाटों पर कच्ची घाटों का निर्माण इत्यादि कार्य हेतु (१००) एक सौ सफाई कर्मी प्रतिदिन रख सकेगी। विशेष आवश्यकता होने पर नगर निगम कार्यालय से आदेश प्राप्त कर निर्धारित सीमा से अधिक या कम सफाई कर्मी रखे जा सकते हैं। गंगा घाटों की साफ-सफाई एवं घाटों का निर्माण इत्यादि कार्य में प्रस्तुत सफाई मजदूर को पारिश्रमिक न्यूनतम सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर देय होगा एवं एन०जी०ओ० को (१०) दस रु० आकस्मिक व्यय हेतु प्रति मजदूर देय होगा।
4. एन०जी०ओ० द्वारा समर्पित सभी विपत्र पर कार्य सत्यापन जॉच हेतु सफाई प्रभारी एवं संबंधित वार्ड जमादार का सत्यापन प्रतिवेदन होना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही भुगतान की कारवाई की जायेगी।

७

5. चयनित एन0जी0ओ0 को अद्यतन श्रम कानूनों एवं जी0एस0टी0 सहित अन्य सरकारी नियमों का पालन करना होगा।
6. जमानत की राशि मो0-20,000/-रु0 बीस हजार रु0 का तीन वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/पंच वर्षीय डाक घर सावधि जमा पासबुक के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम से प्रतिज्ञिप्त (प्लेज्ड) ही मान्य होगा। जो कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. नियमानुसार सभी प्रकार की कर कटौती विपत्र से ही कर ली जायेगी। जी0एस0टी0 से संबंधित राशि चयनित एन0जी0ओ0 को स्वयं जमा करना होगा।
8. सभी तरह के विवादों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा ही मान्य होगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को सुविधा अनुरूप एन0जी0ओ0 को कार्य बटवारा करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये किसी भी एन0जी0ओ0 को कार्य से मुक्त किया जा सकता है एवं निविदा को किसी भी समय रद्द या समाप्त करने या पुनः डाक कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

  
(डॉ० श्यामल किशोर पाठक)  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, मुंगेर।

  
( श्रीमति रुमा राज )  
महापौर  
नगर निगम, मुंगेर।